



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164806

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7710/2026

हारुन शाह एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : चन्द्र प्रकाश मिश्रा, प्रकाश शर्मा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 333 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 351(3), 352, 121(2), 132 तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना-कोतवाली पडरौना, जनपद-कुशीनगर, में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान आवेदकों सहित कुल सात व्यक्तियों को नामजद किया गया है। उनके विरुद्ध सामान्य एवं सर्वग्राही आरोप लगाए गए हैं। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। अभियोजन का यह स्वीकृत प्रकरण है कि आवेदकों तथा अन्य सह-अभियुक्तों पर किसी हथियार से हमला नहीं किया गया था। यह आरोप है कि मोहम्मद यूनस एवं जुबैर अहमद नामक दो व्यक्तियों को चोटें आईं, तथापि उनकी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 109(1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है और अपराध बी.एन.एस. की धारा 115(2) से आगे नहीं जाता है। आवेदकों को जेल में रखने के उद्देश्य से बी.एन.एस. की धारा 109(1) का गलत रूप से प्रयोग किया गया है। आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाए, उपस्थित होने का वचन देते हैं। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि, उन्होंने तथ्यों के संबंध में विवाद नहीं किया।

5- मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

6- सुशील अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी सम्मिलित है, की उसकी संभावना, न्याय से भागने, जैसे कि देश छोड़ने आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

7- सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। मात्र इसलिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण बनता है।

9- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदकगण-**हारून शाह** एवं **नियाज** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाएगा कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करें;

(ii)- आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना के संचालन के प्रयोजन से जब भी अपेक्षित हों, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे;

(iii)- आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हों; तथा

(iv)- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10- किसी भी शर्त के अनुपालन में चूक होने अथवा उसके दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदकों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

6 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!